भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 987 /मप्रविनिआ/2021 --विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) सहपठित धारा 91 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30--01--2009 को प्रकाशित हुए थे, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण--प्रथम) विनियम, 2009 में पंचम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** : (i) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) (पंचम संशोधन) विनियम, 2009 {एआरजी--6(I)(v), वर्ष 2021}"** कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. **विनियम 4 में संशोधन** :

प्रधान विनियमों में खण्ड 4 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए :

"परामर्शी अपेक्षित न्यूनतम कालावधि के लिये वचनबद्ध होगा। वचनबद्धता की अधिकतम कालावधि तीन वर्ष होगी एवं परस्पर सम्मत निबन्धन तथा शर्तों पर कालावधि आगे दो वर्षों के लिये बढ़ाई जा सकेगी।"

3. **विनियम 7 में संशोधन**

प्रधान विनियमों में खण्ड 1 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए :

"विशिष्ट कार्यों के लिए परामर्शियों की नियुक्ति हेतु तैयार की गई वचनबद्धता शर्तें (Terms of Reference) आयोग द्वारा अनुमोदित की जाऐगी। यदि आयोग विभिन्न नियत कार्यों (टास्क)/निर्दिष्ट कार्यों (असाइनमेंन्ट्स) हेतु सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उचित समझे तो वह निर्दिष्ट समयावधि हेतु परामर्शियों की क्रम सूची तैयार करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये उपयुक्त बोली प्रलेख के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर सकेगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, सचिव.